न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।

उपस्थितः अनिल कुमार–X, (उच्चतर न्यायिक सेवा)

सत्र परीक्षण सं०.....592/2023

सरकार बनाम अजय चौधरी आदि

अंतर्गत धारा–147,148, 307/149, 427, 504 506 भा०द०सं०

थाना–मोदीनगर गाजियाबाद।

मु0 अ 0 सं0–711/2022

आरोप

मैं, अनिल कुमार–X, सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद आप अभियुक्तगण अजय चौधरी, गौरव, शुभम, सेन्सरपाल, प्रेमवीर सिंह, अंकित उर्फ कालू, चमन सिंह एवं रोबिन को निम्नलिखित आरोप से आरोपित करता हूँ–

प्रथमः यह कि दिनांक 25.10.2022 को समय 08.00 बजे प्रातः स्थान सीकरी रोड फाटक स्थित वादी की दुकान अंतर्गत सीमा थाना मोदीनगर जिला गाजियाबाद में आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में विधि विरूद्ध जमाव कर बलवा करने के लिए अवैध समूह का निर्माण किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–147 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

द्वितीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में उक्त अवैध समूह का निर्माण कर लाठी, डंडे एवं देसी कटटे पिस्टल जैसे घातक आयुध से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–148 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

तृतीयः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा एकराय होकर सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में वादी मुनेश कंसल को जान से मारने की नीयत से इस आशय, ज्ञान व परिस्थिति में फायरिंग की गयी कि यदि आपके द्वारा की गयी फायरिंग से वादी की मृत्यु हो जाती तो आप अभियुक्तगण हत्या के अपराध के दोषी होते। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–307/149 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

चतुर्थः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में वादी की दुकान में घुसकर दुकान में रखा सामान तोड़–फोड़ दिया गया। इस प्रकार आपने वादी की सम्पत्ति की हानि करके रिष्टि की। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–427 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

पंचमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण द्वारा लोक शांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से वादी को गाली गलोच देकर अपमानित किया गया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–504 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

षष्ठमः यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने एकराय होकर वादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कायम किया। इस प्रकार आपने भा0 द 0 सं0 की धारा–506 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो कि इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा आपको आदेशित किया जाता है कि उक्त आरोपों के लिये आप अभियुक्तगण का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 08.11.2023

Digitally signed by ANIL KUMAR
Date: 2023.11.09 12:42:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाए व समझाए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इंकार किया तथा परीक्षण की मांग की।

(अनिल कुमार–X)
सत्र न्यायाधीश
गाजियाबाद।

दिनांक 08.11.2023